

प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08
(नियम 62 देखें)
स्व:निर्धारित कर के संदाय के लिए विवरण

		वित्तीय वर्ष														
		तिमाही														
1.	जीएसटीआईएन															
2.	(क)	विधिक नाम	<स्वत:>													
	(ख)	व्यापार नाम	<स्वत:>													
	(ग)	एआरएन	< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)													
	(घ)	फाइल करने की तारीख	< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)													

3. स्व:निर्धारित दायित्व का सारांश

(कुल अग्रिम, जमा और विकलन टिप्पण और संशोधन आदि के कारण कोई अन्य समायोजन)

(सभी सारणियों में रुपयों में रकम)

क्र. सं.	विवरण	मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7
1.	जावक पूर्ति (छूट प्राप्त पूर्ति को सम्मिलित करते हुए)					
2.	आवक पूर्ति सेवाओं के आयात को सम्मिलित करते हुए आरक्षित भार को आकर्षित करते हुए आवक पूर्ति					
3.	संदेय कर (1+2)					
4.	संदेय ब्याज, यदि कोई हो					
5.	संदेय कर और ब्याज					

4. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है ।

हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :

1. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन या अधिसूचना संख्या 02/2019-केंद्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 (सा.का.नि. 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019) का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला करदाता, सम्यक तारीख तक तिमाही आधार पर कर का संदाय करेगा ।
2. अग्रिम, जमा/विकलन टिप्पण या सुधार के लेखें समायोजन दायित्व के विरुद्ध रिपोर्ट की जाएगी ।
3. नकारात्मक मूल्य की ऐसे रिपोर्ट की जाएगी कि ऐसा मूल्य समायोजन के पश्चात् आया है ।
4. यदि कुल संदेय कर नकारात्मक हो गया है, तब उसे अगली कर अवधि के लिए, उस अवधि में उसका उपयोग करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा ।
5. यदि संदाय सम्यक तारीख के पश्चात् किया जाता है तो ब्याज उद्ग्रहणीय होगा ।
6. 'शून्य' वरण दाखिल किया जाएगा यदि तिमाही के दौरान कोई कर देयता बकाया नहीं है